सी० बी० दो संख्या 262

लोक सभा

राजनयिक संबंध (वियना कन्वेन्शन) विधेयक, 1971

(प्रवर समिति का प्रतिवेदन)

(24 मई, 1972 को प्रस्तुत किया गया)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मई, 1972/बैशाख, 1894 (शक)

मूल्य : 0.60 पै०

विषय सूची

	पृष्ठ
1. प्रवर समिति की रचना	(iii)
2. प्रवर समिति का प्रतिवेदन	(v)
3. समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक	1
परिशिष्ट एक : विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए लोक-सभा में प्रस्ताव	12
परिशिष्ट दो : प्रवर समिति की सदस्यता बढ़ाने के लिए लोक-सभा में प्रस्ताव	13
परिशिष्ट तीन : प्रवर समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश	14

राजनयिक संबंध (बियना कन्वेन्शन) विधेयक, 1971
संबंधी प्रवर समिति

समिति की रचना

श्री बी० आर० भगत—सभापति

सदस्य

2. डा० हैनरी आस्टिन
3. श्री आर० डी० भंडारे
4. श्री त्रिदिब चौधरी
5. श्री मधु दंडवते
6. श्री मुरासोली मारन
7. श्री नाथू राम मिर्धा
8. श्री समर मुखर्जी
9. श्री बी० एस० मूर्ति
10. श्री एच० एन० मुकर्जी
11. श्री एच० एम० पटेल
12. श्री एन० के० पी० साल्वे
13. श्री एस० ए० शमीम
14. श्री संत बख्श सिंह
15. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
16. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
17. सरदार स्वर्ण सिंह
18. श्री अटल बिहारी बाजपेयी
19. श्री बी० वेंकटासुब्बया

विधायी सलाहकार

श्री पी० एल० गुप्ता, अपर विधायी सलाहकार, विधि और न्याय मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० के० बनर्जी, सचिव (पूर्व)
2. श्री महबूब अहमद, संयुक्त सचिव (नयाचार)
3. श्री उपेन्द्र लाल, नयाचार उप-प्रमुख
4. डा० एस० पी० जगोटा, निदेशक (एल तथा टी)
5. श्री डी० ए० कामत, उप निदेशक
6. श्री के० के० चोपड़ा, विधि अधिकारी
7. डा० (श्रीमती) के० ठाकोर, सहायक विधि परामर्शदाता

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक—संयुक्त सचिव

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस प्रवर समिति का सभापति जिसे राजनयिक, सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन (1961) को प्रभावी करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपलब्ध करने वाला विधेयक‡ सौंपा गया था, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किये जाने पर, समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं जिसके साथ समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक भी संलग्न है।

2. यह विधेयक 25 नवम्बर, 1971 को लोक-सभा में पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव श्री एच० एन० मुखर्जी ने 20 दिसम्बर, 1971 को प्रस्तुत किया था और उस पर उसी दिन विचार-विमर्श हुआ और उसे स्वीकार किया गया (परिशिष्ट-एक)। तत्पश्चात्, प्रवर समिति की सदस्यता को 15 से बढ़ाकर 19 करने के लिए विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह ने 22 दिसम्बर, 1971 को लोक सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो उसी दिन स्वीकार कर लिया गया (परिशिष्ट-दो)।

3. समिति की कुल दस बैठकें हुईं।

4. समिति की पहली बैठक 24 दिसम्बर, 1971 को हुई थी। इस बैठक में समिति ने निश्चय किया कि बैठकों के अगले दौर में विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ किया जाये।

5. समिति ने 28 और 29 जनवरी तथा 13 और 28 अप्रैल, 1972 को हुई अपनी दूसरी, तीसरी, छटी और सातवीं बैठकों में विधेयक पर खंडवार विचार किया।

6. समिति का प्रतिवेदन "आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन" अर्थात् 18 मार्च, 1972 तक प्रस्तुत किया जाना था। "चालू सत्र के अन्तिम दिन" अर्थात् बजट सत्र, 1972 के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 18 मार्च, 1972 को समिति को और समय दिया गया।

7. समिति ने 17 मई, 1972 को प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

8. विधेयक में जो प्रमुख परिवर्तन किये गये हैं उनके संबन्ध में समिति के विचार परवर्ती पैराग्राफों में सविस्तार दिये गये हैं।

9. **खण्ड 4.**—यह खंड भारत सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि जब कभी भारत सरकार को यह प्रतीत हो कि भारतीय मिशन या उसके सदस्यों को, किसी ऐसे राज्य के राज्यक्षेत्र में, जो राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन का पक्षकार है, दिए गए विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, उस राज्य के राजनयिक मिशन या उसके सदस्यों को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों से कम हैं, तो भारत सरकार उस राजनयिक मिशन या उसके सदस्यों को ऐसे प्रदत्त उन विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को वापस ले सकेगी। किसी विदेशी राज्य द्वारा वियना कन्वेन्शन को भंग करने का मामला स्पष्ट रूप से इस खंड के अन्तर्गत नहीं आता। अतः समिति का विचार है कि जब भी कोई देश भारतीय मिशन या उसके सदस्यों के प्रति वियना कन्वेन्शन की अवहेलना करे तब भारत सरकार को उसके विरुद्ध प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान किये जाने चाहियें। खंड 4 तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

समिति ने नोट किया कि जो देश राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन, 1961 के पक्षकार नहीं हैं किन्तु जिन देशों पर खंड 3 के कारण यह विधेयक लागू होगा उनके साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा इस खंड के अन्तर्गत भारतीय राजपत्र में समुचित अधिसूचना जारी करके ऐसी ही पारस्परिक या प्रतिकारात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

10. **खंड 8.**—इस खंड में किया गया संशोधन प्रारूपण सम्बन्धी है।

11. **खंड 11.**—संसद् के दोनों सदनों की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समितियों ने केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों आदि को संसद् के समक्ष रखने के लिए संशोधित नमूना खंड का अनुमोदन कर दिया है। इस खंड में जो संशोधन किये गये हैं उनका उद्देश्य इस खंड को उपर्युक्त समितियों द्वारा अनुमोदित संशोधित नमूना खंड के अनुरूप बनाना है।

12. **खंड 1 और अधिनियमन सूत्र.**—इनमें किए गए संशोधन पारिणामिक हैं।

13. समिति सिफारिश करती है कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये।

नई दिल्ली;
18 मई, 1972
28 वैशाख, 1894 (शक)

बी० आर० भगत,
सभापति,
प्रवर समिति।

‡25 नवम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

1971 का विधेयक संख्या 134

[दि डिप्लोमेटिक रिलेशन्स (वियना कन्वेन्शन) बिल, 1971 का हिन्दी अनुवाद]

राजनयिक संबंध (वियना कन्वेन्शन) विधेयक, 1971

[प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किये गए रूप में]

(रेखांकित अथवा पार्श्वरेखांकित शब्द समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को प्रगट करते हैं; तारक चिन्ह लोपों को प्रकट करते हैं।)

राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेन्शन, 1961 को प्रभावी करने और उससे सम्बन्द्ध विषयों का उपबन्ध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और विस्तार।

1. (1) यह अधिनियम राजनयिक सम्बन्ध (वियना कन्वेन्शन) अधिनियम, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेन्शन का लागू होना।

2. (1) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, 1961 की अप्रैल के चौदहवें दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के राजनयिक समागम और उन्मुक्तियों विषयक सम्मेलन द्वारा अंगीकृत, राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन के उपबन्ध, जो इस अधिनियम की अनुसूची में उपवर्णित हैं, भारत में विधि का बल रखेंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उक्त कन्वेन्शन के उन उपबन्धों में, जो अनुसूची में उपवर्णित हैं, सम्यक् रूप से किए गए और अंगीकृत किन्हीं संशोधनों के अनुरूप संशोधन अनुसूची में कर सकेगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुसरण में कतिपय विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का राजनयिक मिशनों और उनके सदस्यों को लागू होना ।

3. जहां किसी करार, कन्वेन्शन या अन्य लिखत के अनुसरण में, किसी राजनयिक मिशन और उसके सदस्यों को, जिसका प्रेषक राज्य राजनयिक संबन्धों पर वियना कन्वेशन, 1961 का पक्षकार नहीं है, या किसी अन्य विशेष मिशन और उसके सदस्यों को, भारत में वैसे ही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां देना आवश्यक है जो अनुसूची में उपवर्णित उपबन्धों में अन्तर्विष्ट हैं, वहां, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि अनुसूची में उपवर्णित उपबन्ध, ऐसे उपान्तरों के, यदि कोई हों, अधीन जो वह उक्त करार, कन्वेन्शन या अन्य लिखत को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, यथास्थिति, राजनयिक मिशन और उसके सदस्यों को या किसी अन्य विशेष मिशन और उसके सदस्यों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, और तदुपरि उक्त उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे और किसी अन्य विधि में किसी में प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे लागू होने में, भारत में विधि का बल रखेंगे ।

विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर निर्बन्धन ।

4. यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी राज्य ने जो राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन, 1961 का पक्षकार है, उस कन्वेन्शन के अधीन उद्भूत होने वाली अपनी अबाध्यताओं को भंग किया है, या भारतीय मिशन या उसके सदस्यों को, किसी ऐसे राज्य के राज्यक्षेत्र में जो राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेन्शन, 1961 का पक्षकार है, दिए गए विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, उस राज्य के राजनयिक मिशन या उसके सदस्यों को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों से कम हैं तो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस राज्य के राजनयिक मिशन या उसके सदस्यों से ऐसे प्रदत्त उन विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को वापस ले सकेगी जो केन्द्रीय सरकार को उचित प्रतीत हों ।

अधित्यजन ।

5. अनुसूची में उपवर्णित कन्वेन्शन के अनुच्छेद 32 के प्रयोजनार्थ, किसी राज्य के मिशन के प्रधान या तत्समय उसके कृत्यों का निर्वहन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अधित्यजन उस राज्य द्वारा अधित्यजन समझा जाएगा ।

सीमा-शुल्क आदि से छूटों में से कतिपय पर निर्बन्धन ।

6. अनुसूची में उपवर्णित कन्वेन्शन के अनुच्छेद 36 की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगया जाएगा कि वह किसी राजनयिक मिशन या उसके सदस्य को इस बात का हकदार बनाती है कि वह सीमा शुल्क दिए बिना ही भारत में किसी माल का आयात, बाद में भारत में उसके विक्रय पर किन्हीं निर्बन्धनों के बिना, कर सके ।

भारत के नागरिकों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ।

7. अनुसूची में उपवर्णित कन्वेन्शन के अनुच्छेद 38 के प्रयोजनार्थ, भारत का कोई नागरिक, उस अनुच्छेद में उपवर्णित विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से भिन्न केवल ऐसे अतिरिक्त विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसे अनुदत्त करे ।

राजनयिक परिसरों में प्रवेश पर निर्बन्धन ।

8. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी लोक प्राधिकारी का कोई लोक सेवक या अभिकर्त्ता, किसी राजनयिक मिशन के परिसर में, कोई विधिक आदेशिका तामील करने के प्रयोजनार्थ, उस मिशन के प्रधान की सम्मति से ही प्रविष्ट होगा अन्यथा नहीं। ऐसी सम्मति भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय के **माध्यम से अभिप्राप्त की जा सकेगी।

साक्ष्य ।

9. यदि किसी कार्यवाही में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी विशेषाधिकार या उन्मुक्ति का हकदार है या नहीं, तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन दिया गया ऐसा प्रमाणपत्र जो उस प्रश्न से सम्बन्धित किसी तथ्य को कथित करे, उस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

10. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं और बनाए गए नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

11. इस अधिनियम के अधीन निकाली गई हर अधिसूचना और बनाए गए हर नियम को, निकाले जाने या बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, संसद् के हर एक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो कुल मिला कर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो अथवा अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा, और यदि उपरोक्त सत्र अथवा क्रमवर्ती सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति उस अधिसूचना या नियम में कोई उपान्तर करने के लिये सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी चाहिए या वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् यथास्थिति, वह अधिसूचना या नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस अधिसूचना या नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन, 1961 के उपबन्ध जो विधि का बल रखेंगे

अनुच्छेद 1

1. वर्तमान कन्वेन्शन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित पदों के अर्थ वे होंगे जो एतद्धीन उन्हें दिए गए हैं:—

(क) "मिशन का प्रधान" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे प्रेषक राज्य ने उस हैसियत से कार्य करने का कर्तव्य सौंपा हो ;

(ख) "मिशन के सदस्य" से मिशन का प्रधान और मिशन के कर्मचारिवृन्द के सदस्य अभिप्रेत हैं ;

(ग) "मिशन के कर्मचारिवृन्द के सदस्य" से मिशन के राजनयिक कर्मचारिवृन्द के, प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारिवृन्द के तथा सेवा-कर्मचारिवृन्द के सदस्य अभिप्रेत हैं ;

(घ) "राजनयिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य" से मिशन के कर्मचारिवृन्द के वे सदस्य अभिप्रेत हैं जो राजनयिक रैंक के हैं ;

(ङ) "राजनयिक अभिकर्ता" से मिशन का प्रधान या मिशन के राजनयिक कर्मचारिवृन्द का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(च) "प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारिवृन्द के सदस्य" से मिशन के कर्मचारिवृन्द के वे सदस्य अभिप्रेत हैं जो मिशन की प्रशासनिक और तकनीकी सेवा में नियोजित हैं ;

(छ) "सेवा कर्मचारिवृन्द के सदस्य" से मिशन के कर्मचारिवृन्द के वे सदस्य अभिप्रेत हैं जो मिशन की घरेलू सेवा में हैं ;

(ज) "निजी सेवक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मिशन के किसी सदस्य की घरेलू सेवा में है और जो प्रेषक राज्य का कर्मचारी नहीं है ;

(झ) "मिशन के परिसर" से वे भवन या भवनों के वे भाग और उनकी आनुषंगिक भूमि अभिप्रेत हैं जिन्हें, चाहे उनका स्वामी कोई भी हो, मिशन के प्रयोजनों के लिए, जिसके अन्तर्गत मिशन के प्रधान का निवास भी है, उपयोग में लाया जाता है।

अनुच्छेद 22

1. मिशन के परिसर अनतिक्रमणीय होंगे। ग्राही राज्य के अभिकर्त्ता, मिशन के प्रधान की अनुमति के बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

2. ग्राही राज्य का यह विशेष कर्त्तव्य होगा कि वह किसी भी अतिक्रमण या नुकसान से मिशन के परिसर की रक्षा करे और मिशन की शांति में विघ्न को या उसके सम्मान के ह्रास को रोकने के लिए सभी समुचित कदम उठाये।

3. मिशन के परिसर, उनमें उनका साजसामान और अन्य सम्पति तथा परिवहन के साधन तलाशी, अध्यपेक्षा, कुर्की या निष्पादन से उन्मुक्त होंगे।

अनुच्छेद 23

1. प्रेषक राज्य और मिशन के प्रधान को, मिशन के परिसर की बाबत, चाहे वे उनके स्वामित्व में हों या उन्होंने पट्टे पर लिए हों, उन करों के सिवाय जो की गई विनिर्दिष्ट सेवाओं के सम्बन्ध में हों, सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या नगरपालिक देयों और करों से छूट होगी।

2. इस अनुसूची में निर्दिष्ट कराधान से छूट ऐसे देयों और करों को लागू नहीं होगी जो प्रेषक राज्य या मिशन के प्रधान के साथ संविदा करने वाले व्यक्तियों द्वारा, राज्य की विधि के अधीन, संदेय हों।

अनुच्छेद 24

मिशन के अभिलेखागार और दस्तावेज किसी भी समय और जहां कहीं हों अनतिक्रमणीय होंगे ।

अनुच्छेद 27

1. ग्राही राज्य सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए मिशन को मुक्त संचार की अनुज्ञा देगा और उसकी संरक्षा करेगा। प्रेषक राज्य की सरकार और अन्य मिशनों तथा कौंसिलों के साथ, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, संचार करने में मिशन सभी समुचित साधनों का, जिनके अन्तर्गत राजनयिक पत्रवाहक, संकेतावली या गुप्त-लेख में संदेश भी हैं, उपयोग कर सकेगा । तथापि, मिशन किसी वायरलेस ट्रांसमीटर को केवल ग्राही राज्य की अनुमति से ही लगा सकेगा और उपयोग में ला सकेगा ।

2. मिशन का शासकीय पत्र-व्यवहार अनतिक्रमणीय होगा । शासकीय पत्र-व्यवहार से मिशन और उसके कृत्यों से सम्बन्धित सभी पत्र-व्यवहार अभिप्रेत हैं ।

3. राजनयिक बैग खोला और रोका नहीं जाएगा ।

4. उन पैकेजों पर जो राजनयिक बैग में हों, उनके स्वरूप का दृश्यमान बाह्य होना चाहिये, और उनमें केवल राजनयिक दस्तावेज या शासकीय उपयोग के लिए आशयित वस्तुएं ही रखी जा सकेंगी ।

5. राजनयिक पत्र-वाहक को, जिसे एक ऐसा शासकीय दस्तावेज दिया जाएगा जिसमें उसकी प्रास्थिति और राजनयिक बैग में के पैकेजों की संख्या उपदर्शित होंगी, उसके कृत्यों के पालन में ग्राही राज्य उसकी संरक्षा करेगा । उसे वैयक्तिक अनतिक्रमणीयता प्राप्त होगी और वह किसी प्रकार की गिरफ्तारी या निरोध का भागी नहीं होगा ।

6. प्रेषक राज्य या मिशन, तदर्थ राजनयिक पत्र-वाहक अभिहित कर सकेगा । ऐसे मामलों में इस अनुच्छेद के पैरा 5 के उपबन्ध भी लागू होंगे, सिवाय इसके कि उसमें वर्णित उन्मुक्तियों का उस समय लागू होना समाप्त हो जाएगा जब ऐसे पत्र-वाहक ने अपने प्रभार में का राजनयिक बैग परेषिति को परिदत्त कर दिया हो ।

7. राजनयिक बैग किसी ऐसे वाणिज्यिक विमान के कैप्टन को न्यस्त किया जा सकेगा जिसके बारे में यह नियत हो कि वह प्रवेश के लिए प्राधिकृत किसी पत्तन पर उतरेगा । उसे ऐसा शासकीय दस्तावेज दिया जाएगा जिसमें बैग में के पैकेजों की संख्या उपदर्शित हो किन्तु उसे राजनयिक पत्र-वाहक नहीं माना जाएगा । मिशन अपने सदस्यों में से किसी को विमान के कैप्टन से सीधे और स्वतन्त्र रूप से राजनयिक बैग को कब्जे में लेने के लिए भेज सकेगा ।

अनुच्छेद 28

मिशन द्वारा अपने शासकीय कर्तव्यों के दौरान उद्ग्रहीत फीसों और प्रभारों को सभी देयों और करों से छूट होगी ।

अनुच्छेद 29

राजनयिक अभिकर्ता का शरीर अनतिक्रमणीय होगा। वह किसी प्रकार की गिरफ्तारी या निरोध का भागी नहीं होगा। ग्राही राज्य उसके साथ पूर्ण आदर का व्यवहार करेगा और उसके शरीर, उसकी स्वतन्त्रता या उसके सम्मान पर किसी आघात का निवारण करने के लिए सभी समुचित कदम उठायेगा।

अनुच्छेद 30

1. किसी राजनयिक अभिकर्ता का प्राइवेट निवास-स्थान मिशन के परिसर के समान ही अनतिक्रमणीय और संरक्षणीय होगा।

2. उसके कागजात, पत्र-व्यवहार और अनुच्छेद 31 के पैरा 3 में उपबन्धित के सिवाय उसकी सम्पत्ति भी उसी प्रकार अनतिक्रमणीय होगी।

अनुच्छेद 31

1. राजनयिक अभिकर्ता ग्राही राज्य की दाण्डिक अधिकारिता से उन्मुक्त होगा। वह, निम्नलिखित दशाओं के सिवाय, सिविल और प्रशासनिक अधिकारिता से भी उन्मुक्त होगा :—

(क) ग्राही राज्य के राज्यक्षेत्र में स्थित प्राइवेट स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई वास्तविक अनुयोजन, जब तक कि वह मिशन के प्रयोजनों के लिए उसे प्रेषक राज्य की ओर से धारण न करता हो ;

(ख) उत्तराधिकार के सम्बन्ध में ऐसा अनुयोजन जिसमें राजनयिक अभिकर्ता, प्राइवेट व्यक्ति के रूप में, न कि प्रेषक राज्य की ओर से, निष्पादक, प्रशासक, वारिस या वसीयतदार के रूप में अन्तर्ग्रस्त हो;

(ग) ग्राही राज्य के भीतर, राजनयिक अभिकर्ता द्वारा अपने शासकीय कृत्य से परे किए गए किसी वृत्तिक या वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के सम्बन्ध में कोई अनुयोजन।

2. कोई राजनयिक अभिकर्ता साक्षी के रूप में साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के उप-पैरा (क), (ख) और (ग) के अधीन आने वाली दशाओं के सिवाय, किसी राजनयिक अभिकर्ता की बाबत निष्पादन का कोई अध्युपाय नहीं किया जा सकेगा, और सम्बद्ध अध्युपाय उसके शरीर और उसके निवास-स्थान की अनतिक्रमणीयता का अतिलंघन किए बिना ही किए जा सकेंगे।

4. ग्राही राज्य की अधिकारिता से किसी राजनयिक अभिकर्ता की उन्मुक्ति प्रेषक राज्य की अधिकारिता से उसे छूट प्रदान नहीं करती।

अनुच्छेद 32

1. राजनयिक अभिकर्ताओं की और अनुच्छेद 37 के अधीन उन्मुक्ति को रखने वाले व्यक्तियों की अधिकारिता से उन्मुक्ति प्रेषक राज्य द्वारा अधित्यक्त की जा सकेगी ।

2. अधित्यजन सदैव अभिव्यक्त होना चाहिए ।

3. राजनयिक अभिकर्ता द्वारा या अनुच्छेद 37 के अधीन अधिकारिता से उन्मुक्ति रखने वाले व्यक्ति द्वारा कार्यवाहियों का आरम्भ उसे मूल दावे से सीधे सम्बन्धित किसी प्रतिदावे की बाबत अधिकारिता से उन्मुक्ति का आश्रय लेने से प्रवारित करेगा ।

4. सिविल या प्रशासनिक कार्यवाहियों की बाबत अधिकारिता से उन्मुक्ति के अधित्यजन का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उसमें निर्णय के निष्पादन की बाबत, जिसके लिए पृथक अधित्यजन आवश्यक होगा, उन्मुक्ति का अधित्यजन अन्तर्निहित है ।

अनुच्छेद 33

1. इस अनुच्छेद के पैरा 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राजनयिक अभिकर्ता को, प्रेषक राज्य के लिए की गई सेवाओं की बाबत, सामाजिक सुरक्षा के उन उपबन्धों से छूट होगी जो ग्राही राज्य में प्रवृत्त हों ।

2. वह छूट जिसके लिए इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उपबन्ध किया गया है, उन निजी सेवकों को भी, जो किसी राजनयिक अभिकर्ता के एकमात्र नियोजन में हों, इस शर्त पर लागू होगी कि,—

(क) वे ग्राही राज्य के राष्ट्रिक या स्थायी निवासी नहीं हैं; और

(ख) वे सामाजिक सुरक्षा के उन उपबन्धों की परिधि में आते हैं जो प्रेषक राज्य या किसी तीसरे राज्य में प्रवृत्त हों ।

3. कोई राजनयिक अभिकर्ता जो ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करता है जिन्हें इस अनुच्छेद के पैरा 2 में छूट के लिए किया गया उपबन्ध लागू नहीं होता, ऐसी बाध्यताओं का अनुपालन करेगा जो ग्राही राज्य के सामाजिक सुरक्षा के उपबन्ध नियोजकों पर अधिरोपित करें ।

4. इस अनुच्छेद के पैरा 1 और 2 में उपबन्धित छूट, ग्राही राज्य की सामाजिक सुरक्षा पद्धति में स्वेच्छया भाग लेना उस दशा में प्रवारित नहीं करेगी जब कि ऐसे भाग लेने की अनुज्ञा उस राज्य द्वारा दे दी गई हो ।

5. इस पैरा के उपबन्ध सामाजिक सुरक्षा से सम्बद्ध उन द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करारों पर प्रभाव नहीं डालेंगे जो तत्पूर्व किए गए हों और भविष्य में ऐसे करारों का किया जाना निवारित नहीं करेंगे ।

अनुच्छेद 34

राजनयिक अभिकर्ता को, निम्नलिखित के सिवाय, सभी देयों और करों से छूट होगी चाहे वे वैयक्तिक या सम्पत्ति सम्बन्धी, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या नगरपालिक हों :—

(क) इस प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जो माल या सेवाओं की कीमतों में सामान्य रूप से समाविष्ट हों;

(ख) ग्राही राज्य के राज्यक्षेत्र में स्थित प्राइवेट स्थावर सम्पत्ति पर देय और कर, जब तक कि प्रेषक राज्य की ओर से मिशन के प्रयोजनों के लिए उसे धारण न करता हो;

(ग) अनुच्छेद 39 के पैरा 4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ग्राही राज्य द्वारा उद्ग्रहीत सम्पदा, उत्तराधिकार या विरासत शुल्क;

(घ) उस निजी आय पर देय और कर जिसका स्रोत ग्राही राज्य में हो और ग्राही राज्य में वाणिज्यिक उपक्रमों में किए गए विनिधानों पर पूंजी कर;

(ङ) की गई विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए उद्ग्रहीत प्रभार;

(च) अनुच्छेद 23 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, स्थावर सम्पत्ति की बाबत रजिस्ट्रीकरण, न्यायालय या अभिलेख फीसें, बन्धक-देय और स्टाम्प शुल्क ।

अनुच्छेद 35

ग्राही राज्य राजनयिक अभिकर्ताओं को सभी वैयक्तिक सेवाओं से, सभी लोक सेवाओं से चाहे वे किसी भी प्रकार की हों और सैनिक बाध्यताओं से, जैसे कि वे जो अध्यपेक्षित करने, सैनिक अभिदायों और सैनिकों को ठहराने से सम्बद्ध हों, छूट देगा ।

अनुच्छेद 36

1. ग्राही राज्य, ऐसी विधियों और विनियमों के अनुसार जिन्हें यह अंगीकृत करे,—

(क) मिशन के शासकीय उपयोग की वस्तुओं के;

(ख) राजनयिक अभिकर्ता या उसके परिवार के उन सदस्यों के, जो उसकी गृहस्थी का भाग हों, वैयक्तिक उपयोग की उन वस्तुओं के, जिनके अन्तर्गत उसके स्थापन के लिए आशयित वस्तुएं भी हैं,

प्रवेश की अनुज्ञा देगा और सभी सीमा-शुल्कों, करों और भण्डारकरण, ढुलाई और वैसी ही सेवाओं के प्रभारों से भिन्न अन्य सम्बद्ध प्रभारों से छूट अनुदत्त करेगा ।

2. राजनयिक अभिकर्ता के वैयक्तिक सामान को निरीक्षण से छूट होगी जब तक कि यह उपधारणा करने के गम्भीर आधार न हों कि उसमें ऐसी वस्तुएं हैं जो इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उपवर्णित छूटों के अन्तर्गत नहीं आती, या ऐसी वस्तुएं हैं जिनका आयात अथवा निर्यात ग्राही राज्य की विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या करन्तीन विनियमों द्वारा नियंत्रित है। ऐसा निरीक्षण राजनयिक अभिकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही किया जाएगा।

अनुच्छेद 37

1. राजनयिक अभिकर्ता के कुटुम्ब के उन सदस्यों को, जो उसकी गृहस्थी का भाग हैं, यदि वे ग्राही राज्य के राष्ट्रिक न हों, तो अनुच्छेद 29 से 36 तक में विनिर्दिष्ट विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां होंगी।

2. मिशन के प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारिवृन्द के सदस्यों को, उनके कुटुम्बों के उन सदस्यों सहित जो उसकी अपनी-अपनी गृहस्थियों के भाग हैं, यदि वे ग्राही राज्य के राष्ट्रिक अथवा स्थायी निवासी न हों तो, इस बात के सिवाय कि ग्राही राज्य की उस सिविल और प्रशासनिक अधिकारिता से उन्मुक्ति का जो अनुच्छेद 31 के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट है विस्तार उनके कर्तव्यों के अनुक्रम से परे किए गए कार्यों पर न होगा, अनुच्छेद 29 से 35 तक में विनिर्दिष्ट विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां होंगी। उनके प्रथम बार पदासीन होने के समय आयात की गई वस्तुओं की बाबत भी वे विशेषाधिकार होंगे जो अनुच्छेद 36 के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. मिशन के सेवा कर्मचारिवृन्दों के उन सदस्यों को जो ग्राही राज्य के राष्ट्रिक या स्थायी निवासी नहीं हैं, अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में किए गए कार्यों के बारे में उन्मुक्ति होगी, उन उपलब्धियों पर देयों और करों से छूट होगी जो वे अपने नियोजन के कारण प्राप्त करते हैं, और अनुच्छेद 33 में अन्तर्विष्ट छूट होगी।

4. मिशन के सदस्यों के निजी सेवकों को, यदि वे ग्राही राज्य के राष्ट्रिक अथवा स्थायी निवासी न हों, तो ऐसी उपलब्धियों पर जो वे अपने नियोजन के कारण प्राप्त कर सकते हैं, देयों और करों से छूट होगी। अन्य विषयों के बारे में उन्हें उस विस्तार तक ही विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां होंगी जिस तक ग्राही राज्य स्वीकार करे। तथापि, ग्राही राज्य को उन व्यक्तियों पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग ऐसी रीति से करना चाहिए जिससे मिशन के कृत्यों के पालन में असम्यक् रूप से हस्तक्षेप न हो।

अनुच्छेद 38

1. वहां तक के सिवाय, जहां तक कि ग्राही राज्य द्वारा अतिरिक्त विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां अनुदत्त की जाएं ऐसे राजनयिक अभिकर्ता को जो उस राज्य का राष्ट्रिक अथवा स्थायी निवासी है, केवल अपने कृत्यों के प्रयोग में किए गए कार्यों की बाबत ही अधिकारिता से उन्मुक्ति और अनतिक्रमणीयता होगी।

2. मिशन के कर्मचारिवृन्द के अन्य सदस्यों और निजी सेवकों को जो ग्राही राज्य के राष्ट्रिक अथवा स्थायी निवासी हैं केवल उस विस्तार तक ही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां होंगी जिस तक कि ग्राही राज्य स्वीकार करे। तथापि, ग्राही राज्य को अपनी अधिकारिता का प्रयोग उन व्यक्तियों पर ऐसी रीति से करना चाहिए जिससे मिशन के कृत्यों के पालन में असम्यक रूप से हस्तक्षेप न हो।

अनुच्छेद 39

1. हर व्यक्ति को जो विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार है वे उसी क्षण से प्राप्त होंगी जब वह अपना पद ग्रहण करने के लिए ग्राही राज्य के राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करता है अथवा, यदि वह उसकी राज्यक्षेत्र में पहले ही से है तो, उसी क्षण से प्राप्त होगी जब उसकी नियुक्ति विदेश मंत्रालय को या अन्य ऐसे मंत्रालय को जिसके बारे में सहमति हो, अधिसूचित की जाती है।

2. जब विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां रखने वाले किसी व्यक्ति के कृत्य समाप्त हो जाएं तब, ऐसे विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रसामान्य रूप से उसी क्षण जब वह देश छोड़े या ऐसा करने के लिए अपेक्षित युक्तियुक्त कालावधि के अवसान पर, समाप्त हो जाएंगी किन्तु उस समय तक बनी ही रहेंगी चाहे सशस्त्र संघर्ष की दशा भी क्यों न हो। तथापि, मिशन के सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के पालन में ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के बारे में उन्मुक्ति बनी रहेगी।

3. मिशन के किसी सदस्य की मृत्यु की दशा में, उसके परिवार के सदस्यों को वे विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, जिनके वे हकदार हों, उस युक्तियुक्त कालावधि के अवसान तक बनी रहेंगी जिसके भीतर उन्हें देश छोड़ देना चाहिए।

4. मिशन के किसी ऐसे सदस्य की जो ग्राही राज्य का राष्ट्रिक या स्थायी निवासी न हो या उसके कुटुम्ब के किसी ऐसे सदस्य की जो उसकी गृहस्थी का भाग है, मृत्यु की दशा में, ग्राही राज्य, देश में अर्जित किसी ऐसी सम्पत्ति के सिवाय जिसका निर्यात उसकी मृत्यु के समय प्रतिषिद्ध था, मृत की जंगम सम्पत्ति की वापसी की अनुज्ञा देगा। सम्पदा, उत्तराधिकार और विरासत शुल्क ऐसी जंगम सम्पत्ति पर उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा जिसकी उपस्थिति ग्राही राज्य में, केवल मिशन के सदस्य के रूप में या मिशन के सदस्य के परिवार के किसी सदस्य के रूप में, मृत की उपस्थिति के कारण ही थी।

अनुच्छेद 40

1. यदि कोई राजनयिक अभिकर्ता अपना पद ग्रहण करने या उस पर लौटने के लिए अग्रसर होते समय या अपने ही देश लौटने के समय, किसी ऐसे तीसरे राज्य के राज्यक्षेत्र से होकर निकले या उसमें हो, जिसने उस पारपत्र/वीजा, यदि ऐसा वीजा आवश्यक हो, अनुदत्त किया था, तो वह तीसरा राज्य उसे ऐसी अनतिक्रमणीयता और उन्मुक्तियां प्रदान करेगा जो उसके जाने या लौटने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों। यही बात उसके कुटुम्ब के उन सदस्यों की दशा में भी लागू होगी जिन्हें विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हों और जो राजनयिक

अभिकर्ता के साथ जा रहे हों या उसके पास जाने या अपने देश लौटने के लिए पृथक्तः यात्रा कर रहे हों ।

2. वैसी ही परिस्थितियों में जो इस अनुच्छेद के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, तीसरे राज्य, मिशन के प्रशासनिक और तकनीकी या सेवा कर्मचारिवृन्द के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों के जाने में अपने राज्यक्षेत्र के भीतर बाधा नहीं डालेंगे ।

3. तीसरे राज्य उस शासकीय पत्र-व्यवहार और अन्य शासकीय संसूचनाओं के, जिनके अन्तर्गत संकेतावली या गुप्तलेख में संदेश भी हैं, अभिवहन में वही स्वतन्त्रता और संरक्षण प्रदान करेंगे जो ग्राही राज्य द्वारा प्रदान की जाती हैं। व उन राजनयिक पत्र-वाहकों को, जिन्हें पारपत्र/वीजा, यदि ऐसा वीजा आवश्यक हो, अनुदत्त किया गया है, और उन राजनयिक बैगों को जो अभिवहन में हों, वैसी ही अनतिक्रमणीयता और संरक्षण प्रदान करेगा जैसी ग्राही राज्य प्रदान करने के लिए आबद्ध है।

4. इस अनुच्छेद के पैरा 1, 2 और 3 के अधीन तीसरे राज्यों की बाध्यताएं उन पैराओं में क्रमशः वर्णित व्यक्तियों को, और शासकीय संसूचनाओं और राजनयिक बैगों को भी, लागू होंगी जिनकी तीसरे राज्य के राज्यक्षेत्र में उपस्थिति 'अनिवार्य बाध्यता' के कारण हो ।

परिशिष्ट एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए लोक-सभा में प्रस्ताव

"कि राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन (1961) को प्रभावी करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें 15 सदस्य हों, अर्थात

(1) डा० हेनरी ग्रास्टिन
(2) श्री बी० आर० भगत
(3) श्री आर० डी० भंडारे
(4) श्री त्रिदिब चौधरी
(5) श्री मुरासोली मारन
(6) श्री नाथूराम मिर्धा
(7) श्री समर मुखर्जी
(8) श्री एच० एम० पटेल
(9) श्री एन० के० पी० साल्वे
(10) श्री सन्त बख्श सिंह
(11) श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
(12) श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
(13) सरदार स्वर्ण सिंह
(14) श्री अटल बिहारी वाजपेयी; और
(15) श्री एच० एन० मुकर्जी

और समिति को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

परिशिष्ट दो

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

प्रवर समिति की सदस्यता बढ़ाने के लिए लोक-सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन (1961) को प्रभावी करने और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के सदस्यों की संख्या को, जो सभा द्वारा 20 दिसम्बर, 1971 को नियुक्त किये गये थे, 15 से बढ़ा कर 19 करती है और उक्त प्रवर समिति में निम्नलिखित चार सदस्य नियुक्त करती है :—

(1) श्री पी० वेंकटासुब्बया

(2) श्री बी० एस० मूर्ति;

(3) श्री एम० ए० शमीम; और

(4) श्री मधु दंडवते।"

परिशिष्ट तीन

राजनयिक सम्बन्ध (वियना कन्वेन्शन) विधेयक, 1971 सम्बन्धी प्रवर समिति की बैठकों की कार्यवाही——सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 24 दिसम्बर, 1971 को 11-00 बजे से 11-45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री बी० आर० भगत——**सभापति**

सदस्य

2. श्री आर० डी० भंडारे
3. श्री त्रिदिब चौधरी
4. श्री समर मुखर्जी
5. श्री बी० एस० मूर्ति
6. श्री एच० एन० मुकर्जी
7. श्री एस० ए० शमीम
8. श्री सन्त बख्श सिंह
9. श्री सत्येंद्र नारायण सिंह
10. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
11. श्री पी० वेंकटासुब्बया

विधायी सलाहकार

श्री पी० एल० गुप्ता, अपर विधायी सलाहकार

विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री महबूब अहमद, संयुक्त सचिव (नयाचार)
2. श्री उपेन्द्र लाल, नयाचार उप-प्रमुख
3. श्री डी० ए० कामत, उप-निदेशक
4. श्री के० के० चोपड़ा, विधि अधिकारी

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक——संयुक्त सचिव।
श्री एच० जी० परांजपे——उप-सचिव।

2. समिति ने विधेयक के उपबन्धों पर सामान्य चर्चा की।

3. चर्चा के दौरान सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की कि विदेश मंत्रालय से निम्नलिखित सामग्री प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया जाये।

(1) राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन, 1961 के मूलभूत कारणों को दर्शाने वाला एक संक्षिप्त टिप्पण तथा इससे सहमत होने वाले देशों के नाम।

(2) उन देशों के नाम जिन्होंने कन्वेन्शन को कार्यरूप देने के लिये कानून बनाये हैं।

(3) सुप्रसिद्ध लेखकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संधियों पर लिखी गयी अद्यतन पुस्तकों से इस विषय पर संगत उद्धरण।

(4) उन देशों के नाम जिन्होंने भारतीय मिशनों या उनके सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर निर्बन्धन लगाये हैं तथा इन निर्बन्धनों का स्वरूप (देखिये विधेयक का खण्ड 4)

(5) ऐसी कोई अन्य सामग्री जिसे मंत्रालय उपयुक्त समझे।

4. सभापति ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे विधेयक के खण्डों पर संशोधनों, यदि कोई हों, की सूचना लोक-सभा सचिवालय को अगली बैठक से काफी पहले भेज दें ताकि उन्हें समिति के सदस्यों में परिचालित किया जा सके।

5. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार करने के लिये 28 और 29 जनवरी, 1972 को 11-00 बजे बैठक बुलाने का निश्चय किया।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 28 जनवरी, 1972 को 11-00 बजे से 13-00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री बी० आर० भगत—**सभापति**

सदस्य

2. डा० हैनरी आस्टिन
3. श्री त्रिदिब चौधरी
4. श्री मुरासोली मारन
5. श्री बी० एस० मूर्ति
6. श्री एच०एन० मुकर्जी
7. श्री एच० एम० पटेल
8. श्री एस० ए० शमीम
9. श्री सन्त बख्श सिंह
10. श्री सत्येंद्र नारायण सिंह
11. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
12. श्री पी० वेंकटासुब्बया

विधायी सलाहकार

श्री पी० एल० गुप्ता, अपर विधायी सलाहकार

विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री महबूब अहमद, संयुक्त सचिव (नयाचार)
2. श्री उपेन्द्र लाल, नयाचार उप-प्रमुख
3. श्री एम० पी० जगोटा, निदेशक (एल० तथा टी०)
4. श्री के० के० चोपड़ा, विधि अधिकारी
5. डा० (श्रीमती) के० ठकोर, सहायक विधि परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

श्री के० जी० रमन, अवर सचिव

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक--संयुक्त सचिव।
श्री एच० जी० परांजपे--उप सचिव।

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ किया।

3. **खंड 2 से 7**--ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिये गये।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक शनिवार, 29 जनवरी, 1972 को 11-00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 29 जनवरी, 1972 को 11-00 बजे से 12-45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री बी० आर० भगत--**सभापति**

सदस्य

2. डा० हैनरी आस्टिन
3. श्री त्रिदिब चौधरी
4. श्री समर मुखर्जी
5. श्री बी० एस० मूर्ति
6. श्री एच० एन० मुकर्जी
7. श्री एच० एम० पटेल
8. श्री एस० ए० शमीम
9. श्री सन्त बख्श सिंह
10. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
11. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
12. श्री पी० वेंकटासुब्बया

विधायी सलाहकार

श्री पी० एल० गुप्ता, अपर विधायी सलाहकार

विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री महबूब अहमद, संयुक्त सचिव (नयाचार)
2. श्री उपेन्द्र लाल, नयाचार उप-प्रमुख
3. श्री एस० पी० जगोटा, निदेशक (एल० तथा टी०)
4. श्री के० के० चोपड़ा, विधि अधिकारी
5. डा० (श्रीमती) के० ठकोर, सहायक विधि परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री के० जे० रमन, अवर सचिव
2. श्री एस० पी० चौधरी, अवर सचिव

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक––संयुक्त सचिव।

श्री एच० जी० परांजपे––उप-सचिव।

2. समिति ने विधेयक पर पुनः खण्डवार विचार आरम्भ किया।

3. **खण्ड** 8––समिति ने श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे द्वारा नियम 301 के अधीन समिति को भेजे गये संशोधन को स्वीकार नहीं किया।

निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :––

पृष्ठ 3 पंक्ति 4 तथा 5

"भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव" **के स्थान पर**
"भारत सरकार के विदेश मंत्रालय" **प्रतिस्थापित कीजिये।**
खण्ड को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

4. **खण्ड 9, 10 तथा** 11––ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिये गये।

5. **खण्ड** 1––निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :––

पृष्ठ 1 पंक्ति 4

"1971" **के स्थान पर** "1972" **प्रतिस्थापित कीजिये।**

खण्ड को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

6. **अधिनियमन सूत्र** :––निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :––

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 "बाईसवें" **के स्थान पर** "तेईसवें" **प्रतिस्थापित कीजिये।**

अधिनियमन सूत्र को संशोधन रूप में स्वीकार किया गया।

7. समिति का विचार था कि विधेयक में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जब भी कोई देश भारत के सम्बन्ध में वियना कन्वेन्शन का उल्लंघन करता है तो भारत सरकार के पास ऐसी शक्तियां होनी चाहिये कि यदि वह उचित समझे तो उस देश के प्रति प्रति-कारात्मक कार्यवाही कर सके। उस हद तक वियना कन्वेन्शन के संगत उपबन्धों को भारत में विधि का बल नहीं होना चाहिये।

समिति ने इच्छा प्रकट की कि विदेश मंत्रालय इस बात की जांच करे कि क्या विधेयक के खण्ड 2 या 4 के अधीन अथवा किसी नये खण्ड के अधीन यह व्यवस्था की जा सकती है।

8. **अनुसूची** :––तत्पश्चात् समिति ने अनुसूची पर विचार आरम्भ किया। समिति चाहती थी कि विदेश मंत्रालय अनुसूची में राज-नयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन, 1961 के बहुत से अनुच्छेदों को शामिल करने और बहुत से अनुच्छेदों को छोड़ने के कारणों को दर्शाने वाला एक टिप्पण प्रस्तुत करे। एक सुझाव यह भी था कि क्यों न सम्पूर्ण अनुसूची को विधेयक में शामिल कर दिया जाये।

9. तत्पश्चात् समिति की बैठक सोमवार 13 मार्च, 1972 को 16-00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

———

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 13 मार्च, 1972 को 16.00 बजे से 16.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री बी० आर० भगत—**सभापति**

सदस्य

2. श्री मधु दंडवते
3. श्री बी० एस० मूर्ति
4. श्री एच० एन० मुकर्जी
5. श्री एच० एम० पटेल
6. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

विधायी सलाहकार

श्री पी० एल० गुप्ता, अपर विधायी सलाहकार

विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री डी० ए० कामत, उपनिदेशक
2. डा० (श्रीमती) के० ठकोर, सहायक विधि परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एम० पी० चौधरी—अवर सचिव

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक—संयुक्त सचिव।

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव।

2. समिति की बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित हुई।
3. सभापति ने घोषणा की कि समिति की अगली बैठक शुक्रवार, 17 मार्च, 1972 को 15.00 बजे आयोजित की जाये।

पांच

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 17 मार्च, 1972 को 15.00 बजे से 15.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री बी० आर० भगत—**सभापति**

सदस्य

2. श्री मधु दंडवते
3. श्री बी० एस० मूर्ति

4. श्री एच० एन० मुकर्जी
5. श्री एच० एम० पटेल
6. श्री एस० ए० शमीम
7. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
8. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

विधायी सलाहकार

श्री पी० एल० गुप्ता, अपर विधायी सलाहकार

विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री महबूब अहमद, संयुक्त सचिव (नयाचार)
2. श्री उपेन्द्र लाल, नयाचार उप-प्रमुख
3. श्री डी० ए० कामत, उप निदेशक
4. डा० (श्रीमती) के० ठकोर, सहायक विधि परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एस० पी० चौधरी—अवर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव ।

2. समिति ने वर्तमान सत्र के अंतिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाने के लिये अनुरोध करने का निर्णय किया क्योंकि समिति के लिये निर्धारित दिन अर्थात् 18 मार्च, 1972 तक विचार-विमर्श पूरा करना तथा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देना सम्भव नहीं था। समिति ने सभापति और उनकी अनुपस्थिति में श्री एच० एन० मुकर्जी को 18 मार्च, 1972 को सभा में इस आशय का एक प्रस्ताव रखने के लिये प्राधिकृत किया।

3. समिति चाहती थी कि विदेश मन्त्रालय समिति को उसके सदस्यों के प्रयोग के लिये ब्रिटिश संसद में 'डिप्लोमैटिक प्रिविलिजिज बिल' पर हुये संगत वाद-विवादों को प्रस्तुत करे।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक विधेयक पर आगे खण्डवार विचार करने के लिये गुरुवार, 13 अप्रैल, 1972 को 15.00 बजे समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

छः

छठी बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 13 अप्रैल, 1972 को 15.00 बजे से 16.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री बी० आर० भगत—सभापति

सदस्य

2. श्री आर० डी० भंडारे
3. श्री त्रिदिव चौधरी
4. श्री मधु दंडवते

5. श्री समर मुखर्जी
6. श्री बी० एस० मूर्ति
7. श्री एच० एन० मुकर्जी
8. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

विधायी सलाहकार

श्री पी० एल० गुप्ता, अपर विधायी सलाहकार

विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री महबूब अहमद, संयुक्त सचिव (नयाचार)
2. श्री उपेन्द्र लाल, नयाचार उप-प्रमुख
3. डा० एस० पी० जगोटा, निदेशक (एल० तथा टी०)
4. श्री के० के० चोपड़ा, विधि अधिकारी
5. डा० (श्रीमती) के० ठकोर, सहायक विधि परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एस० के० कोहली, अवर सचिव

सचिवालय

श्री० एच० जी० परांजपे, उप सचिव।

2. समिति ने विधेयक पर आगे खण्डवार विचार आरम्भ किया और विदेश मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित टिप्पणों पर विचार किया :—

(एक) राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन, 1961 का उल्लंघन करने वाले देश के सम्बन्ध में प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने संबंधी स्थिति का स्पष्टीकरण करने वाला टिप्पण ; तथा

(दो) राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन, 1961 के विभिन्न अनुच्छेदों को अनुसूची में शामिल करने तथा छोड़ने के कारणों को दर्शाने वाला टिप्पण।

कुछ विचार-विमर्श के बाद समिति ने अपनी अगली बैठक में इस विषय पर विदेश मन्त्री के विचार जानने का निश्चय किया।

3. तत्पश्चात् समिति की बैठक शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1972 को 9.30 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1972 को 9.30 बजे से 10.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री बी० आर० भगत, **सभापति**

सदस्य

2. श्री आर० डी० भंडारे
3. श्री समर मुखर्जी
4. श्री एच० एम० पटेल
5. श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे
6. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
7. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
8. सरदार स्वर्ण सिंह

विधायी सलाहकार

श्री पी० एल० गुप्ता, अपर विधायी सलाहकार, विधि और न्याय मन्त्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एम० के० बनर्जी, सचिव (पूर्व)
2. डा० नगेन्द्र सिंह, भारत के राष्ट्रपति के सचिव
3. श्री महबूब अहमद, संयुक्त सचिव (नयाचार)
4. श्री उपेन्द्र लाल, नयाचार उप-प्रमुख
5. श्री के० के० चोपड़ा, विधि अधिकारी
6. डा० (श्रीमती) के० ठकोर, सहायक विधि परामर्शदाता

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे, उप सचिव ।

2. आरम्भ में विदेश मन्त्री ने राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन, 1961 का उल्लंघन करने वाले देश के सम्बन्ध में प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने सम्बन्धी स्थिति का स्पष्टीकरण किया और उस कन्वेन्शन के विभिन्न अनुच्छेदों को अनुसूची में शामिल करने तथा छोड़ने के कारण भी बताये।

3. समिति ने तत्पश्चात् विधेयक पर पुनः खण्डवार विचार आरम्भ किया।

4. **खण्ड 4**—[देखिये दिनांक 28 जनवरी 1972 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 3 तथा दिनांक 29 जनवरी 1972 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 7] इस खण्ड पर फिर से विचार-विमर्श आरम्भ किया गया । निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 2 पंक्ति 17 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** कीजिये ।

> "4. यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी राज्य ने जो राजनयिक सम्बन्धों पर वियना कन्वेन्शन, 1961 का पक्षकार है, उस कन्वेन्शन के अधीन उद्भूत होने वाली अपनी अबाध्यताओं को भंग किया है या, भारतीय मिशन" खण्ड को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

5. **खण्ड 11**—[देखिये दिनांक 29 जनवरी 1972 के कार्यवाही सारांश का पैरा 4] इस खण्ड पर फिर से विचार-विमर्श आरम्भ किया गया । निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया :—

पृष्ठ 3 पंक्ति 13 से 24 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** कीजिये :

इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं और बनाये गये नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

"11. इस अधिनियम के अधीन निकाली गई हर अधिसूचना और बनाये गये हर नियम को, निकाले जाने या बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीन दिन की कालावधि के लिये, जो एक सत्र में या दो अथवा अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उपरोक्त सत्र अथवा क्रमवर्ती सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन, यथास्थिति, उस अधिसूचना या नियम में कोई उपान्तर करने के लिये सहमत हो जायें या दोनों सदन सहमत हो जायें कि वह अधिसूचना नहीं निकाली जानी चाहिये या वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिये तो तत्पश्चात् यथास्थिति, वह अधिसूचना या नियम, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या इसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस अधिसूचना या नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।"

खण्ड को संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया ।

6. **अनुसूची**—अनुसूची को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया ।

7. तत्पश्चात् समिति की बैठक अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने के लिये गुरुवार, 11 मई, 1972 को 10.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई ।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 11 मई, 1972 को 10.00 बजे, से 10.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री बी० आर० भगत—सभापति

सदस्य

2. डा० हेनरी आस्टिन
3. श्री आर० डी० भंडारे
4. श्री त्रिदिब चौधरी
5. श्री समर मुखर्जी
6. श्री बी० एस० मूर्ति
7. श्री एच० एम० पटेल
8. श्री एन० के० पी० साल्वे
9. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
10. सरदार स्वर्ण सिंह
11. श्री अटल बिहारी वाजपेयी

विधायी सलाहकार

श्री पी० एल० गुप्ता, अपर विधायी सलाहकार, विधि और न्याय मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० के० बनर्जी, सचिव (पूर्व)
2. श्री महबूब अहमद, संयुक्त सचिव (नयाचार)
3. श्री उपेन्द्र लाल, नयाचार उप-प्रमुख
4. डा० एस० पी० जगोटा, निदेशक (एल० तथा टी०)
5. डा० (श्रीमती) के० ठकोर, सहायक विधि परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एस० पी० चौधरी, अवर सचिव।
2. श्री एस० के० कोहली, अवर सचिव।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप-सचिव।

2. कुछ विचार-विमर्श करने के बाद समिति ने निश्चय किया कि प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार 17 मई, 1972 के लिये स्थगित कर दिया जाये।

3. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

नौ

नवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 17 मई, 1972 को 10.00 बजे से 11.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री बी० आर० भगत, सभापति

सदस्य

2. डा० हेनरी आस्टिन
3. श्री आर० डी० भंडारे
4. श्री त्रिदिव चौधरी
5. श्री मधु दंडवते
6. श्री समर मुखर्जी
7. श्री एच० एन० मुकर्जी
8. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
9. सरदार स्वर्ण सिंह

विधायी सलाहकार

श्री पी० एल० गुप्ता, अपर विधायी सलाहकार, विधि और न्याय मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० के० बनर्जी, सचिव (पूर्व)
2. श्री महबूब अहमद, संयुक्त सचिव (नयाचार)
3. श्री उपेन्द्र लाल, नयाचार उप-प्रमुख
4. डा० एस० पी० जगोटा, निदेशक (एल० तथा टी०)
5. डा० (श्रीमती) के० ठकोर, सहायक विधि परामर्शदाता

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एस० के० कोहली, अवर सचिव

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे, उप-सचिव।

2. कुछ विचार-विमर्श करने के बाद समिति ने निश्चय किया कि प्रारूप प्रतिवेदन पर आगे विचार 18 मई, 1972 के लिये स्थगित कर दिया जाये।

3. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

दस

दसवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 18 मई, 1972 को 15.30 बजे से 16.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री बी० आर० भगत, सभापति

सदस्य

2. श्री आर० डी० भंडारे
3. श्री मधु दंडवते

4. श्री बी० एस० मूर्ति
5. श्री एच० एन० मुकर्जी
6. श्री सत्येन्द्र एन० सिंह
7. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
8. सरदार स्वर्ण सिंह
9. श्री अटल बिहारी वाजपेयी

विधायी सलाहकार

श्री पी० एल० गुप्ता, अपर विधायी सलाहकार, विधि और न्याय मंत्रालय

विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री एस० के० बनर्जी, सचिव (पूर्व)
2. श्री महबूब अहमद, संयुक्त सचिव (नयाचार)
3. श्री उपेन्द्र लाल, नयाचार उप-प्रमुख
4. डा० एस० पी० जगोटा, निदेशक (एल० तथा टी०)
5. श्री के० के० चोपड़ा, विधि अधिकारी
6. डा० (श्रीमती) के० ठकोर, सहायक विधि परामर्शदाता

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप-सचिव।

2. समिति ने संशोधित विधेयक पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. तत्पश्चात् समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

4. सभापति ने घोषणा की कि यदि कोई सदस्य विमति-टिप्पण देना चाहे तो उसे अपना विमति-टिप्पण लोक-सभा सचिवालय में सोमवार, 22 मई, 1972 को 17.00 बजे तक भेज देना चाहिये।

5. तत्पश्चात् सभापति ने समिति के सदस्यों का ध्यान विमति-टिप्पणों के सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 87 के उपबन्धों की ओर आकर्षित किया।

6. समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री आर० डी० भंडारे को बुधवार 24 मई, 1972 को सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

7. विचार-विमर्श के दौरान विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री ने समिति को जो सहायता प्रदान की थी उसके लिए समिति ने आपका आभार प्रकट किया।

8. विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने, विधायी सलाहकार ने और लोक-सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने समिति को जो सहयोग और सहायता प्रदान की उसके लिए भी समिति ने अपना आभार प्रकट किया।

9. समिति की कार्यवाहियों का सुयोग्यता पूर्वक संचालन करने और विधेयक के विभिन्न प्रक्रमों पर विचार-विमर्श के दौरान समिति का मार्गदर्शन करने के लिए समिति ने सभापति (श्री बी० आर० भगत) को भी धन्यवाद दिया।

10. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

MGIPRRND—18LSS/72—NS-I—13-7-72—250.